

## केन्द्रीय मुहर विभाग-2

हमारा संदर्भ: केन्द्रीय मुहर विभाग -2/ 16: आईएस 11169 (भाग 1)

17 01 2018

विषय: आई एस 11169 (भाग 1):1984“अतप्त शीर्षन/बहिर्वेधन अनुप्रयोगों हेतु इस्पात की विशिष्टि भाग 1 पिटवां कार्बन और अल्पमिश्र धातु इस्पात”के संशोधन नंबर 1 का अनुपालन

1. आई एस 11169 (भाग 1):1984के संशोधन नंबर 1 प्रकाशित किया गया है । इस संशोधन को लागू करने का निर्णय तत्काल प्रभाव से लिया गया है।
2. इस संशोधन के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा एस टी आई में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।
3. सभी शाखा कार्यालय, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले सभी लाइसेन्सधारकों/आवेदकों को उपरोक्त संशोधन के कार्यान्वयन के बारे सूचित करें।

(अरुण पुच्छकायला)  
वैज्ञानिक सी (सी एम डी-2)

प्रमुख (के.मु.वि.-2) (हस्ता/-)

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयोंको परिचालित

आई टी एस विभाग - बीआईएस इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए

## CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our ref: CMD-2/16: 11169 (Part 1)

17 01 2018

**Subject: Implementation of Amendment No. 1 to IS 11169(Part 1):1984 – Specification for Steels for Cold Headings/Cold Extrusion Applications Part 1 Wrought Carbon and Low Alloy Steels.**

Amendment No. 1 to IS 11169 (Part 1):1984 has been published. It has been decided to implement the amendment with immediate effect.

For implementation of this amendment no change is required in the existing STI.

All BOs shall inform the licensees /applicants under their jurisdiction about implementation of the above amendment.

(Arun Pucchakayala)  
Scientist C (CMD-2)

Head (CMD-2) (Sd/-)

Circulated to all ROs/BOs

Copy to: ITS for hosting on BIS Intranet.

**AMENDMENT NO. 1 NOVEMBER 2017  
TO  
IS 11169 (PART 1) : 1984 STEEL FOR COLD  
HEADING/COLD EXTRUSION APPLICATION**

**PART 1 WROUGHT CARBON AND LOW ALLOY SHEETS**

*(Page 12, clause 7.5, Table format line 4, col 3) — Substitute '0.20' for '20'.*

(MTD 16)

---

Publication Unit, BIS, New Delhi, India